निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखण्ड

23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।

पत्रांकः 209657/नि0वि0ले0 / सहा0लेखाकार / ज्ये0सूची / 2024, दिनांकः 12 सितम्बर, 2025।

:: कार्यालय–ज्ञाप ::

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग एकीकृत लेखा संवर्ग के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों (कोषागार विभाग को छोड़कर) तैनात / कार्यरत सहायक लेखाकारों की शासनादेश संख्या 211237 / 2024 दिनांक 15 मई, 2024 के बिन्दु संख्या 05 में दी गई व्यवस्थानुसार एंव उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं शासनादेश संख्या– वे0आ0–1–1802 / दस–34 (एम0)–83 दिनांक 11 अगस्त, 1983 तथा समय–समय पर संशोधित प्राविधानों के आलोक निदेशालय के पत्र संख्या 85593 दिनांक 04.06.2024 एवं पत्र संख्या 91301 दिनांक 27.06.2024 क्रम में विभागों से प्राप्त सहायक लेखाकार के पद पर ज्येष्ठता संबंधित विवरणों एवं निदेशालय के पत्र संख्या 118072 दिनांक 29.09.2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एंव पत्र संख्या 118068 दिनांक 29.09.2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित सहायक लेखाकारों के योग्यता क्रमांक की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पारस्परिक विभागीय वरिष्ठता क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं0 149980 / नि0वि0ले0 / सहा0लेखाकार / ज्ये0सूची / 2024, दिनांक 07 फरवरी, 2025 द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 149980, दिनांक 07 फरवरी, 2025 के साथ प्रथम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्न कर सम्बन्धित कार्मिकों को परिचालित करते हुए इसके सम्बन्ध में किसी भी सम्बन्धित कार्मिक को कोई आपत्ति या प्रतिवाद हो तो अपना आपत्ति पत्र, प्रमाणित साक्ष्य सहित अनन्तिम सूची के जारी होने की तिथि से 01 माह के भीतर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। जिसके क्रम उक्त निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों में वर्णित आपत्तियों का स्थापित नियमों, शासनादेशों व प्राकृतिक न्याय के आलोक में गुण दोष के आधार पर निस्तारण करते हुए इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न – यथोपरि।

(गंगा प्रसाद)
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक – उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

File No. UK-VL-E0100015/2/2024-UK-VL-DEPARTMENTALACCDIR (Computer No. 96955)
Generated from eOffice by Shoorveer Singh, OFF-DEPARTMENTAL ACCOUNTS-ASSISTANT ACCOUNTANT, ASSISTANT ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 12/09/2025 10:35

1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2— सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष।
3— सम्बन्धित समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य, वरिष्ठ वित्त अधिकारी।
4— सम्बन्धित समस्त लेखाकर्मी।
5— विभागीय वेबसाईट में परिचलन हेतु।

—ह0—
(गंगा प्रसाद)
निदेशक।

File No. UK-VL-E0100015/2/2024-UK-VL-DEPARTMENTALACCDIR (Computer No. 96955)
Generated from eOffice by Shoorveer Singh, OFF-DEPARTMENTAL ACCOUNTS-ASSISTANT ACCOUNTANT, ASSISTANT ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 12/09/2025 10:35

कार्यालय ज्ञाप संख्या 149980/नि0वि0ले0/सहा0लेखा0/ज्ये0सूची/2024 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा परिचालित सहायक लेखाकारों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण (संलग्न परिशिष्ट) –

क्रम संख्या	प्रत्यावेदन के अनुसार आपत्ति	आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में टिप्पणी
01	**श्री हरीश बोरा, सहायक लेखाकार उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली नैनीताल।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 38 में उनका स्थायीकरण का दिनांक **24.06.2020** अंकित किया गया है, जबकि स्थायीकरण की तिथि **15.08.2021** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा स्थायीकरण आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ने अपने पत्र सं0 142/03–आई0 दिनांक 15.02.2025 द्वारा श्री हरीश बोरा सहायक लेखाकार स्थायीकरण तिथि में संशोधन हेतु इनका आवदेन पत्र एवं स्थायीकरण आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री हरीश बोरा का स्थायीकरण की तिथि **15.08.2021** अंकित कर दिया गया है।
02	**श्री रोहित पाण्डेय, सहायक लेखाकार, वन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 183 में उनका नाम रोहित **पाण्डे** दर्शाया गया है, जबकि उनका नाम रोहित **पाण्डेय** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा हाईस्कूल की अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	अपर प्रमुख वन अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र संख्या 491/1–13(1) दिनांक 04.03.2025 के द्वारा श्री रोहित पाण्डेय का संशोधन हेतु पत्र के साथ हाईस्कूल की अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री रोहित **पाण्डे** के स्थान पर रोहित **पाण्डेय** अंकित कर दिया गया है।
03	**श्री गौरव सिंह, सहायक लेखाकार, वन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक में 339 श्री गौरव सिंह की श्रेणी /चयन श्रेणी **Gen/Exs** दर्शाया गया है, जबकि **Gen/Dff** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी स्वतंत्रता संग्रात सैनानी के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	वन संरक्षक,पश्चिमी वृत्त,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी,नैनीताल के पत्र संख्या 2068/01–12 दिनांक 12 मार्च,2025 के द्वारा श्री गौरव सिंह का स्वतंत्रता संग्रात सैनानी के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उपरोक्तनुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री गौरव सिंह की श्रेणी/चयन श्रेणी **Gen/Exs** के स्थान पर **Gen/Dff** कर दिया गया है।
04	**सुश्री मिथिलेश कुमारी, सहायक लेखाकार, वन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 128 में सुश्री मिथिलेश कुमारी, की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शाया गया है, जबकि शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु एम0कॉम0 के प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2280/1–12 दिनांक 24 मार्च,2025 के द्वारा सुश्री मिथिलेश कुमारी की शैक्षिक योग्यता का संशोधन हेतु इनका पत्र एवं एम0कॉम0 के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री मिथिलेश कुमारी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
05	**सुश्री रेनू मौर्या, सहायक लेखाकार, वन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 352 में अंकित सुश्री रेनू मौर्या, सहायक लेखाकार की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शाया गया है, जबकि शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु एम0कॉम0 के अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	मुख्य वन संरक्षक,मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2636/1–13 दिनांक 06 मई, 2025 के द्वारा कु0 रेनू मौर्या, की शैक्षिक योग्यता में संशोधन हेतु आवेदन पत्र एवं एम0कॉम0 के अंकतालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री रेनू मौर्या, की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम** अंकित कर दिया गया है।
06	**सुश्री आभा, सहायक लेखाकार, वन विभाग।**	
	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्याकंन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 174295 दिनांक 17.05.2025 द्वारा क्रमांक 431 में सुश्री आभा, सहायक लेखाकार की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान संशोधित करते हुए **एम0कॉम0** किये जाने का अनुरोध किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्याकंन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 174295 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा सुश्री आभा, सहायक लेखाकार का सेवा विवरण संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री आभा, सहायक लेखाकार की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।

07	**श्री उज्जवल सिंह बिष्ट, सहायक लेखाकार, प्राविधिक शिक्षा।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 283 में श्री उज्जवल सिंह बिष्ट, सहायक लेखाकार की प्रथम नियुक्ति 16.03.2024 दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम नियुक्ति कार्या0 आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी द्वारा विकास खण्ड चौखुटिया, अल्मोड़ा दिनांक 06.10.2020 (अपरान्ह) में है। इसलिए इनके द्वारा प्रार्थी को क्रमांक 58 में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक शक्तिफॉर्म,ऊधमसिंह नगर के पत्र संख्या 13 / स्था0पी0एफ / 2025–26 दिनांक 05 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री उज्जवल सिंह बिष्ट,सहायक लेखाकार का अनुरोध पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री उज्जवल सिंह बिष्ट, सहायक लेखाकार को कार्यालय आदेश संख्या 195497 दिनांक 31 जुलाई, 2025 द्वारा इनको प्रथम नियुक्ति के पद पर प्रत्यावर्तित करते इनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.2024 के स्थान पर दिनांक 07.10.2020 को करते हुऐ अनन्तिम सूची के में क्रमांक 57 पर अंकित श्री दीपक भण्डारी एवं क्रमांक 58 पर अंकित श्री राहुल बंगवाल के मध्य अंकित कर दिया गया है।
08	**श्रीमती बबीता पाल, सहायक लेखाकार, प्राविधिक शिक्षा।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 386 में इनका नाम **सुश्री बबीता कुमारी** अंकित किया गया है, जबकि इनका नाम **श्रीमती बबीता पाल** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्र संख्या 12257 / नि0प्रा0शि0 / स्थापना–44 / 2024–25 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा सुश्री बबीता पाल द्वारा नाम संशोधित करने हेतु शपथ पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए **सुश्री बबीता कुमारी** के स्थान पर **श्रीमती बबीता पाल** कर दिया गया है।
09	**श्री अखिलेश, सहायक लेखाकार, प्राविधिक शिक्षा।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची क्रमांक 310 में श्री अखिलेश की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **बी0बी0ए0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा बी0बी0ए0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	राजकीय पॉलीटेक्निक मल्लासालम,अल्मोड़ा के पत्र संख्या 702 / स्था0 / 2024–25 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा श्री अखिलेश की शैक्षिक अर्हता संशोधित करने हेतु बी0बी0ए0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री अखिलेश की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **बी0बी0ए0** अंकित कर दिया गया है।
10	**सुश्री गुंजन जोशी, सहायक लेखाकार, प्राविधिक शिक्षा।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 332 में सुश्री गुंजन जोशी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	राजकीय पॉलीटेक्निक टनकपुर,(चम्पावत)ा के पत्र संख्या 11372 / स्था0–व्य0पत्रा0 / 2024–25 दिनांक 21.02.025 के द्वारा सुश्री गुंजन जोशी की शैक्षिक अर्हता संशोधित करने हेतु एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री गुंजन जोशी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दी गयी है।
11	**सुश्री बेबी मेवाड, सहायक लेखाकार, प्राविधिक शिक्षा।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 379 में सुश्री बेबी मेवाड़ की प्रथम नियुक्ति दिनांक **23 फरवरी, 2024** दर्शायी गयी है। जबकि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक **22 फरवरी, 2024 के अपरान्हन** में है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा पदभार ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	राजकीय पॉलीटेक्निक पौड़ी(गढ़वाल) के पत्र संख्या 969 / स्था0–पी0एफ0 / 2024–25 दिनांक 24 फरवरी, 2025 के द्वारा सुश्री बेबी मेवाड, में संशोधन हेतु आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार सुश्री बेबी मेवाड, के अनुरोध के क्रम में प्रथम नियुक्ति **22 फरवरी, 2024 के अपरान्हन्** अंकित करते हुए संशोधित करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।
12	**श्री राहुल जुयाल, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 59 में श्री राहुल जुयाल, सहायक लेखाकार का तैनाती स्थान **जिला विकास कार्यालय देहरादून दर्शाया** गया है, जबकि वर्तमान तैनाती स्थान **खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर देहरादून** है।	जिला विकास अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 1342 / स्थापना–1 / सहा0लेखा0तैनाती / 2020–21 दिनांक 16.11.2020 के क्रम में श्री राहुल जुयाल, सहायक लेखाकार का तैनाती स्थल हेतु संशोधन हेतु आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री राहुल जुयाल, सहायक लेखाकार का तैनाती स्थल जिला विकास कार्यालय देहरादून के स्थान पर **खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर देहरादून** संशोधित करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।

13	**श्री मो0 शाकिर, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 87 में श्री मो0 शाकिर की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र सं0 3311 दिनांक 06.03.2025 में द्वारा श्री मो0 शाकिर, सहायक लेखाकार की एम0कॉम0 अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री मो0 शाकिर की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
14	**श्री सौरभ कौशल, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 60 में श्री सौरभ कौशल, की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शाया गया है, जबकि शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु एम0कॉम0 की अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर के पत्र संख्या 2463 दिनांक 01 मार्च, 2025 के द्वारा श्री सौरभ कौशल की शैक्षिक योग्यता का संशोधित अंकतालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री सौरभ कौशल की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
15	**सुश्री अनिता ढौडियाल, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 80 में **सुश्री अनिता ठौडियाल** अंकित किया गया है, जबकि इनका **सुश्री अनिता ढौडियाल** एवं शैक्षिक योग्यता बी0कॉम0 दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता एम0कॉम0 है। संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा संशोधित अंक तालिका एवं नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	प्रत्यावेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 मार्च, 2025 द्वारा अपने शैक्षिक योग्यता एवं नाम संशोधित करने हेतु एम0कॉम0 अंक तालिका एवं नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए **सुश्री अनिता ठौडियाल** के स्थान पर **सुश्री अनिता ढौडियाल** तथा शैक्षिक योग्यता बी0कॉम0 के स्थान पर एम0कॉम0 अंकित कर दिया गया है।
16	**श्री अंकित मन्द्रवाल, सहायक लेखाकार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 485 में श्री अंकित मन्द्रवाल की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0बी0ए0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0बी0ए0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। 2— प्रत्यावेदक द्वारा नियुक्ति आदेश सं0 937/स्था0/नियुक्ति/ 2023—24 दिनांक 26.02.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 03.02.2024 के अनुसार वरिष्ठता में उचित स्थान पर रखने का अनुरोध किया है।	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार के पत्र संख्या 931/सहा0लेखा0/ज्ये0सूची/आपत्ति/2024—25 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा श्री अंकित मन्द्रवाल का शैक्षिक योग्यता एवं वरिष्ठता संशोधित करने का अनुरोध पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। 1— उक्तानुसार शैक्षिक अर्हता में संशोधित करने अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री अंकित मन्द्रवाल की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0बी0ए0** कर दिया गया है। 2— श्री अंकित मन्द्रवाल, सहायक लेखाकार को वरिष्ठता क्रम में उचित स्थान पर रखा हुआ है, सहायक लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2022 जिनका चयन परिणाम 07.12.2023 को घोषित किया गया है, जबकि इनका नियुक्ति आदेश की तिथि 20 दिसम्बर, 2023 है जो पश्चात्वर्ती चयन है, अतः इनकी परस्पर वरिष्ठता उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 नियम 05 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। अतः उक्तानुसार इनके प्रत्यावेदन अस्वीकार/निरस्त कर निस्तारित किया जाता है।
17	**श्री रूपेश दत्त, सहायक लेखाकार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार।**	
	प्रत्यावेदक श्री रूपेश दत्त द्वारा अनुरोध किया गया है कि शासनादेश सं0 637/XI/14/53(07)2011 दिनांक 26.02.2014 के क्रम में डी0आर0डी0ए0 में नियुक्ति दि0 14.12.1989 से राजकीय सेवा मानते हुए इनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाये।	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार के पत्र संख्या 931/सहा0लेखा0/ज्ये0सूची/आपत्ति/2024—25 दि0 05.03.2025 के द्वारा श्री रूपेश दत्त के प्रत्यावेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया। जिला ग्राम्य विकास अधिकरणों में कार्यरत नियमित कार्मिकों को उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 4800/XX/13/53(07)2011 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्मिक घोषित किया गया है। शा0सं0—637/XI/14/53(07)2011 दि0 26.02.2014 मात्र मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवानिवृत्ति लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में है, अतः उक्तानुसार इनके प्रत्यावेदन अस्वीकार/ निरस्त किया जाता है।

File No. UK-VL-E0100015/2/2024-UK-VL-DEPARTMENTALACCDIR (Computer No. 96955)
Generated from eOffice by Shoorveer Singh, OFF-DEPARTMENTAL ACCOUNTS-ASSISTANT ACCOUNTANT, ASSISTANT ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 12/09/2025 10:35 am

18	**श्री संदीप सिंह, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 86 में अंकित श्री संदीप सिंह की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** अंकित है। इनके द्वारा **एम0कॉम0 एंव एम0बी0ए0** को अंकित करने का अनुरोध किया है।	जिला विकास अधिकारी,पौड़ी गढ़ावाल के पत्र संख्या 3077 / 1–1–स्था0 / सहा0ले0ज्ये0 / 2024–25 दिनांक 19 मार्च, 2025 के द्वारा श्री संदीप सिंह की शैक्षिक योग्यता एम0बी0ए0 के सर्टिफिकेट प्रमामिणत छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनकी शैक्षिक अर्हता **एम0कॉम0 एवं एम0बी0ए0** अंकित कर दी गई है।
19	**श्री राकेश सिंह, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 88 में श्री राकेश सिंह की प्रथम नियुक्ति **08.10.2020** दर्शायी गयी है। जबकि उनकी नियुक्ति **05.10.2020** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	जिला विकास अधिकारी,पौड़ी गढ़ावाल के पत्र संख्या 3077 / 1–1–स्था0 / सहा0ले0ज्ये0 / 2024–25 दिनांक 19 मार्च, 2025 के द्वारा श्री राकेश सिंह की प्रथम नियुक्ति 05.10.2020 का कार्यभार का आदेश एंव सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री राकेश सिंह की प्रथम नियुक्ति दिनांक **08.10.2020** के स्थान पर दिनांक **05.10.2020** अंकित कर दिया गया है।
20	**श्री संदीप सिंह, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 96 में अंकित श्री संदीप सिंह की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0बी0ए0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0बी0ए0 अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	जिला विकास अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र सं0 2559 दिनांक 04.03.2025 में द्वारा श्री संदीप सिंह, सहायक लेखाकार की एम0बी0ए0 अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री संदीप सिंह की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** के स्थान पर **एम0बी0ए0** अंकित कर दिया गया है।
21	**सुश्री घनीषा पन्त, सहायक लेखाकार, ग्राम्य विकास विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 63 में इनका नाम सुश्री घनीषा **पंत** अंकित किया गया है, जबकि नाम सुश्री घनीषा **पन्त** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा वोटर आई.डी. कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	जिला विकास अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र सं0 2559 दिनांक 04.03.2025 में द्वारा सुश्री घनीषा पन्त, सहायक लेखाकार की ए वोटर आई.डी. कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनका सुश्री घनीषा **पंत** की के स्थान पर सुश्री घनीषा **पन्त** अंकित कर दिया गया है।
22	**सुश्री अमिषा यादव, सहायक लेखाकार, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 267 में उनका नाम सुश्री **अमिशा** यादव दर्शाया गया है, जबकि उनका नाम सुश्री **अमिषा** यादव है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा बी0कॉम0 के प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 213 / सू0एवं लो0स0वि0 (प्रशा0) –73 / 2006 टी0सी0 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा सुश्री अमिषा यादव का नाम संशोधित करने हेतु बी0कॉम0 के प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री **अमिशा** यादव के स्थान पर सुश्री **अमिषा** यादव अंकित कर दिया गया है।
23	**सुश्री पल्लवी कपूर, सहायक लेखाकार, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 132 में सुश्री पल्लवी कपूर की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 213 / सू0एवं लो0स0वि0 (प्रशा0) –73 / 2006 टी0सी0 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा सुश्री पल्लवी कपूर की शैक्षिक अर्हता संशोधित करने हेतु एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री पल्लवी कपूर की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
24	**श्री अनुज कुमार द्विवेदी, सहायक लेखाकार, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।**	
	निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजना उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल के पत्र सं0 2960 / डी.टी.ई.यू. / स्था0 / लेखा0 / पत्रा0 / 2025 दिनांक	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल के पत्र सं0 2960 / डी.टी.ई.यू. / स्था0 / लेखा0 / पत्रा0 / 2025 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री अनुज

File No. UK-VL-E0100015/2/2024-UK-VL-DEPARTMENTALACCDIR (Computer No. 96955)
Generated from eOffice by Shoorveer Singh, OFF-DEPARTMENTAL ACCOUNTS-ASSISTANT ACCOUNTANT, ASSISTANT ACCOUNTANT, DEPARTMENTAL ACC DIRECTORATE on 12/09/2025 10:35 am

	30 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री अनुज कुमार द्विवेदी, सहायक लेखाकार का नाम के ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारूप 1 पर सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया है।	कुमार द्विवेदी को ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने के अनुरोध के क्रम श्री द्विवेदी, सहायक लेखाकार का नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 190 पर अंकित श्री लाखन सिंह एवं क्रमांक 191 पर अंकित सुश्री कीर्ति नेगी के मध्य अंकित कर दिया गया है।
25	**श्री प्रमोद कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजना उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 420 में श्री प्रमोद कुमार की प्रथम नियुक्ति दिनांक **02.02.2024** दर्शायी गयी है। परन्तु उनके द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर योगदान दिनांक **01.02.2024 के अपरान्ह** में किया गया है।	निदेशक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजना उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल के पत्र संख्या 2960 / डी.टी.ई.यू. / स्था0 / लेखा0 / पत्रा0 / 2025 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार का पत्र एवं योगदान आख्या संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार श्री प्रमोद कुमार, के अनुरोध के क्रम में प्रथम नियुक्ति **01 फरवरी, 2024 अपरान्हन्** अंकित करते हुए संशोधित करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।
26	**श्री उत्तम सिंह नेगी, सहायक लेखाकार, उद्योग निदेशालय।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 127 में श्री उत्तम सिंह, की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम** दर्शाया गया है, जबकि शैक्षिक योग्यता **सी0एस0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु सी0एस0 प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	महानिदेशक / आयुक्त उद्योग,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 425 उ0नि0(एक) –32 / 2024–25 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री उत्तम सिंह नेगी की शैक्षिक योग्यता संशोधन हेतु उनका आवेदन पत्र एवं सी0एस0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री उत्तम सिंह नेगी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम,** के स्थान पर **सी0एस0** अंकित कर दिया गया है।
27	**सुश्री हरलीन कौर, सहायक लेखाकार, उद्योग निदेशालय।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 244 में कु0 हरलीन कौर की प्रथम नियुक्ति दिनांक **13.03.2024** दर्शायी गयी है, जबकि उनके द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर दिनांक **11.03.2024 के अपरान्ह** में योगदान किया गया है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ / आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	महानिदेशक / आयुक्त उद्योग,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 425 उ0नि0(एक) –32 / 2024–25 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के द्वारा सुश्री हरलीन कौर सहायक लेखाकार, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा प्रथम नियुक्ति की तिथि में संशोधन अनुरोध पत्र एवं सेवा पुस्तिका प्रथम पृष्ठ / आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री हरलीन कौर द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर दिनांक **11.03.2024 अपरान्हन्** अंकित करते हुए संशोधित करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।
28	**श्री फिरोज खान, सहायक लेखाकार, पर्यटन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 01 में श्री फिरोज खान की शैक्षिक योग्यता बी0कॉम0 दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता एम0कॉम0 है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	संयुक्त निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड विकास परिषद, प0दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन के पत्र संख्या 6174 / 2–2–8 / 2011–14 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा श्री फिरोज खान की शैक्षिक योग्यता संशोधित करने हेतु एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए फिरोज खान की शैक्षिक योग्यता बी0कॉम0 के स्थान पर एम0कॉम0 अंकित कर दिया गया है।
29	**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, विभाग, उत्तराखण्ड।**	
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2778–आ0ले0शा0 / अधि0 / 2024–25 दिनांक 18 फरवरी, 2025 के साथ संलग्न संशोधित प्रारूप 1 उपलब्ध कराया गया हैं।	1– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2778 दिनांक 18 फरवरी, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये संशोधित प्रारूप 1 के आाधार पर सहायक लेखाकार के पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि एवं वर्तमान तैनाती स्थल में संशोधित कर दिया गया है।
30	**श्री पंकज सैनी, सहायक लेखाकार, विद्यालयी शिक्षा।**	
	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या अर्थ–5क(02) / 17349–53 / सहा0 लेखा0 / 2024– 25 दिनांक 21 फरवरी, 2025 के द्वारा ज्येष्ठता सूची में श्री पंकज सैनी, सहायक लेखाकार नाम सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या अर्थ–5क(02) / 17349–53 / सहा0लेखा0 / 2024– 25 दिनांक 21 फरवरी,2025 के द्वारा श्री पंकज सैनी को ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रारूप 1 पर सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराये गये है। उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री पंकज सैनी,

	किया गया है।	सहायक लेखाकार का नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 300 पर अंकित सुश्री सोनम अरोड़ा एवं क्रमांक 301 पर अंकित श्री मनजीत सिंह के मध्य अंकित कर दिया गया है।
31	**श्री अनुज रमोला, सहायक लेखाकार, पुशपालन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 236 में श्री अनुज रमोला की शैक्षिक योग्यता बी0कॉम0 दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0 के साथ एम0ए0 इकॉनोमिक्स** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0ए0 इकॉनोमिक्स की अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	पुशपालन विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून पत्र संख्या 705 /स्था0एक/सहा0लेखा0—वरि0सू0/2024—25 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा श्री अनुज रमोला की शैक्षिक योग्यता का संशोधित करने हेतु एम0ए0 इकॉनोमिक्स की अंकतालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री अनुज रमोला की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0, एम0ए0 इकॉनोमिक्स** अंकित कर दी गई है।
32	**श्री अंकित रतूडी, सहायक लेखाकार, पुशपालन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 346 में श्री अंकित रतूडी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	पुशपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून पत्र संख्या 7058 /स्था0एक/सहा0लेखा0—वरि0सू0/2024—25 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा श्री अंकित रतूडी की शैक्षिक योग्यता संशोधित करने हेतु एम0कॉम0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री अंकित रतूडी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
33	**श्री अंकुश सरोही, सहायक लेखाकार, पुशपालन विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 453 में इनका अंकुश **सिरोही** अंकित किया गया है, जिनका नाम अंकुश **सरोही** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	पुशपालन विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून पत्र संख्या 7058 /स्था0एक/सहा0लेखा0—वरि0सू0/2024—25 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा श्री अंकुश सिरोही नाम संशोधित करने हेतु आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनका नाम श्री अंकुश **सिरोही** के स्थान पर श्री अंकुश **सरोही** कर दिया गया है।
34	**श्री मनोज मिश्रा, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा, ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 144 में अंकित श्री मनोज मिश्रा को नियुक्ति आदेश तिथि दिनांक 28.02.2024 को मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 9542 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्री मनोज मिश्रा की मौलिक नियुक्ति दिनांक 22.02.2024 किये जाने हेतु सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ एवं नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। श्री मनोज मिश्रा के आवेदन के क्रम में उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार, मौलिक नियुक्ति की तिथि संशोधित कर दी गई है।
35	**श्री चन्द्र किरण बधानी, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा, ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 179 में श्री चन्द्र किरण बधानी को नियुक्ति आदेश तिथि दिनांक 22.02.2024 को उनकी सहायक लेखाकार पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जबकि इनकी मौलिक नियुक्ति तिथि 28.02.2024 अंकित है। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैंण ने अपने पत्र 661 दिनांक 27.03.2025 द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर योगदान दिनांक 29.02.2024 के पूर्वान्ह को किया गया है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 9542 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैंण के पत्र 661 दिनांक 27.03.2025 की प्रति, श्री चन्द्र किरण बधानी की सहायक लेखाकार पद पर मौलिक तिथि को 22.02.2024 किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रति एवं इनके नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित की गयी है। श्री चन्द्र किरण बधानी के आवेदन के क्रम में उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार, मौलिक नियुक्ति की तिथि संशोधित कर दी गई है।
36	**श्री हरीश चन्द्र नरियाल, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 227 में इनका नाम श्री **हरिश** चन्द्र नरियाल दर्शाया गया है, जबकि उनका नाम श्री **हरीश** चन्द्र नरियाल है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 9542 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्री हरीश चन्द्र नरियाल का नाम संशोधन हेतु सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री **हरिश** चन्द्र नरियाल के स्थान पर श्री **हरीश** चन्द्र नरियाल अंकित कर दिया गया है।

37	**श्री सतेन्द्र सिंह, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 286 में श्री सतेन्द्र सिंह की तैनाती **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** दर्शाया गया है, जबकि इनकी नवीन तैनाती **मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंह नगर** है। वर्तमान तैनाती को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या कृ0 नि0 / 9542 / ले0सवंर्ग विविधि पत्रा0 / 2024—25 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्री सतेन्द्र सिंह का तैनाती में संशोधन आवेदन पत्र एवं स्थानान्तरण आदेश संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री सतेन्द्र सिंह की वर्तमान तैनाती **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** के स्थान पर नवीन तैनाती **मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंह नगर** अंकित कर दिया गया है।
38	**श्री गोधन सिंह, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 348 में श्री गोधन सिंह की वर्तमान तैनाती **मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंह नगर** दर्शाया गया है। जबकि इनकी **नवीन तैनाती कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** है। वर्तमान तैनाती को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या कृ0 नि0 / 9542 / ले0सवंर्ग विविधि पत्रा0 / 2024—25 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्री गोधन सिंह का तैनाती में संशोधन आवेदन पत्र एवं स्थानान्तरण आदेश संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री गोधन सिंह की वर्तमान तैनाती **मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंह नगर** के स्थान पर नवीन तैनाती **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर** कर दिया गया है।
39	**श्री भूपेन्द्र सिंह धामी, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 308 में इनका नाम श्री **भुपेन्द्र** सिंह धामी दर्शाया गया है, जबकि इनका नाम श्री **भूपेन्द्र** सिंह धामी है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 9542 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह धामी का नाम संशोधन हेतु सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री **भुपेन्द्र** सिंह धामी के स्थान पर श्री **भूपेन्द्र** सिंह धामी अंकित कर दिया गया है।
40	**सुश्री नाहिद परवीन, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 330 में इनका सुश्री नाहिद **प्रवीन** दर्शाया गया है, जबकि उनका नाम श्रीमती नाहिद **परवीन** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा सेवा पुस्तिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 9542 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा श्रीमती नाहिद परवीन का नाम संशोधित किये जाने हेतु सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुश्री नाहिद **प्रवीन** के स्थान पर श्रीमती नाहिद **परवीन** अंकित कर दिया गया है।
41	**श्री मंयक यादव, सहायक लेखाकार, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 23 में मंयक यादव की जन्म तिथि **05 जनवरी,1990** अंकित किया गया है, जबकि इनकी जन्म तिथि **01 मई, 1990** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा हाईस्कूल अंकतालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 13362 / सह0स्था0 / लेखा / सू0सहा0लेखा0 / 2024— 25 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा श्री मंयक यादव की जन्म तिथि संशोधित हेतु हाईस्कूल की अंकतालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री मंयक यादव की जन्म तिथि **05 जनवरी, 1990** के स्थान पर **01 मई, 1990** अंकित कर दिया गया है।
42	**श्री रजत जोशी, सहायक लेखाकार, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 24 में श्री रजत जोशी की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** दर्शाया गया है। जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया गया है।	अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 13362 / सह0स्था0 / लेखा / सू0सहा0लेखा0 / 2024—25 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा श्री रजत जोशी की शैक्षिक योग्यता संशोधन हेतु अनुरोध पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री रजत जोशी की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम** के स्थान पर **बी0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
43	**श्री देवेन्द्र कुंवर, सहायक लेखाकार, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 186 में श्री देवेन्द्र कुंवर की शैक्षिक योग्यता **बी0काम0** दर्शाया गया है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर **एम0कॉम0** है। उक्त	अपर निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 13362 / सह0स्था0 / लेखा / सू0सहा0लेखा0 / 2024—25 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा श्री देवेन्द्र कुंवर की शैक्षिक योग्यता संशोधन हेतु एम0कॉम0 के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित की गयी है।

	को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0कॉम0 के प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री देवेन्द्र कुंवर की शैक्षिक योग्यता **बी0काम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** अंकित कर दिया गया है।
44	**श्री मन्दीप सिंह, सहायक लेखाकार, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 261 में अंकित श्री मन्दीप सिंह का **गृह जनपद देहरादून** दर्शाया गया है, जबकि इनका गृह जनपद **पौड़ी गढ़वाल** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,श्रीनगर (गढ़वाल) के पत्र संख्या 12257 / नि0प्रा0शि0 / स्थापना–44 / 2024–25 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा श्री मन्दीप सिंह द्वारा अपना गृह जनपद संशोधित करने हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री मन्दीप सिंह का गृह जनपद **देहरादून** के स्थान पर गृह जनपद **पौड़ी गढ़वाल** अंकित कर दिया गया है।
45	**श्री देवेन्द्र नेगी, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 365 में अंकित श्री देवेन्द्र नेगी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता एम0बी0ए0 है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा एम0बी0ए0 की अंक तालिका की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	मुख्य उद्यान अधिकारी,चमोली–गोपेश्वर के पत्र संख्या 2079 / सहा0ले0 / ज्ये0सूची0 / 2024–25 दिनांक 22.02.2025 के द्वारा श्री देवेन्द्र नेगी की शैक्षिक योग्यता संशोधित करने हेतु एम0बी0ए0 की अंक तालिका की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्तानुसार इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए देवेन्द्र नेगी की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0बी0ए0** अंकित कर दिया गया है।
46	**सुश्री नीलम बसेड़ा, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 277 में उनका नाम सुश्री नीलम धामी, शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** एवं सहायक लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक **12. 03.2024** दर्शायी गयी है, जबकि उनका नाम श्रीमती नीलम बसेड़ा, शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** तथा सहायक लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक **21.03.2024** है।	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत के पत्र संख्या 85 / दो–34(3) / 2025–26 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्रीमती नीलम बसेड़ा का नाम, शैक्षिक अर्हता व प्रथम नियुक्ति की तिथि में संशोधन हेतु विवाह का प्रमाण पत्र की प्रति, एम0काम0 की अंकतालिका प्रति एवं सेवा पुस्तिका के पृष्ठ की प्रति संलग्नक में प्राप्त की गयी है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री नीलम धामी के स्थान पर श्रीमती नीलम बसेड़ा एवं शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** के स्थान पर **एम0कॉम0** तथा प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक **12.03. 2024** के स्थान पर नियुक्ति तिथि **21.03.2024** अंकित कर दिया गया है।
47	**श्री सरफराज हुसैन, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 360 में श्री सरफराज हुसैन,की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** दर्शाया गया है। जबकि शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0, एम0बी0ए0(वित्त), एम0ए0(अर्थशास्त्र), बी0एड0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु एम0कॉम0 की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत के पत्र संख्या 85 / दो–34(3) / 2025–26 दिनांक 09 अप्रैल,2025 के द्वारा श्री सरफराज हुसैन की शैक्षिक योग्यता का संशोधित पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्री सरफराज हुसैन की शैक्षिक योग्यता **एम0कॉम0** के साथ अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता **एम0बी0ए0(वित्त), एम0ए0(अर्थशास्त्र), बी0एड0** अंकित कर दिया गया है।
48	**श्री नागेश सिंह, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग।**	
	विभाग द्वारा अवगत कराया है कि सूची के क्रमांक 224 में अंकित श्री नागेश सिंह, सहायक लेखाकार का चयन अन्यत्र होने के दृष्टिगत कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसके क्रम में इनका धारणधिकार स्वतः समझा जायेगा।	निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया,रानीखेत के पत्र संख्या 85 / दो–34(3) / 2025–26 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री नागेश सिंह, सहायक लेखाकार का कार्यमुक्त आदेश संलग्न कर प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार विभाग से प्राप्त कार्यमुक्त आदेश के क्रम में श्री नागेश सिंह, सहायक लेखाकार को ज्येष्ठता सूची हटा दिया गया है।
49	**श्री चन्द्र सिंह मेहता, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग।**	
	विभाग द्वारा अवगत कराया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 293 में अंकित श्री चन्द्र सिंह मेहता, सहायक लेखाकार द्वारा आतिथि तक विभाग में योगदान नहीं किया गया है।	निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया,रानीखेत के पत्र संख्या 85 / दो–34(3) / 2025–26 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा श्री चन्द्र सिंह मेहता, सहायक लेखाकार की आतिथि तक विभाग में योगदान नहीं करने की सूचना से अवगत कराया है।

		उपरोक्त के क्रम में श्री चन्द्र सिंह मेहता, सहायक लेखाकार को ज्येष्ठता सूची से हटा दिया गया है।
50	**श्री तरूण कुमार आर्य, सहायक लेखाकार, उच्च शिक्षा निदेशालय।**	
	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 के द्वारा अवगत कराया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 388 में अंकित श्री तरूण कुमार आर्य, सहायक लेखाकार को उनके त्यागपत्र के क्रम में कार्यमुक्त कर दिया गया है।	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 द्वारा श्री तरूण कुमार आर्य, सहायक लेखाकार के त्यागपत्र के क्रम में जारी कार्यमुक्त आदेश संख्या 173–1 / कार्यमुक्त / 2024–25 दिनांक 31 जुलाई, 2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। उपरोक्त के क्रम में श्री तरूण कुमार आर्य, सहायक लेखाकार को ज्येष्ठता सूची से हटा दिया गया है।
51	**डॉ0 शिवानी शाह, सहायक लेखाकार, उच्च शिक्षा निदेशालय।**	
	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 के द्वारा अवगत कराया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 119 में अंकित डॉ0 शिवानी शाह, सहायक लेखाकार का चयन अन्यत्र होने के दृष्टिगत कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसके क्रम में इनका धारणधिकार स्वतः समझा जायेगा।	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 द्वारा डॉ0 शिवानी शाह, सहायक लेखाकार को जारी कार्यमुक्त आदेश संख्या 254–256 / 2024–25 दिनांक 02 अगस्त, 2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। उपरोक्त के क्रम में डॉ0 शिवानी शाह सहायक लेखाकार को ज्येष्ठता सूची से में हटा दिया गया है।
52	**श्री मनवीर, सहायक लेखाकार, उच्च शिक्षा निदेशालय।**	
	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 के द्वारा अवगत कराया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 359 में अंकित श्री मरवीर, सहायक लेखाकार का चयन अन्यत्र होने के दृष्टिगत कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसके क्रम में इनका धारणधिकार स्वतः समझा जायेगा।	उच्च शिक्षा निदेशालय अपने पत्र डिग्री लेखा / 2006 / 2025–26 दिनांक 05 जुलाई, 2025 द्वारा श्री मनवीर, सहायक लेखाकार को जारी कार्यमुक्त आदेश संख्या 168 / व्य0पत्रा0 / कार्यमुक्त / 2024–25 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। उपरोक्त के क्रम में श्री मनवीर, सहायक लेखाकार को ज्येष्ठता सूची से हटा दिया गया है।
53	**श्री रजत कुमार, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग।**	
	प्रत्यावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 207 में अंकित श्री रजत कुमार, सहायक लेखाकार की शैक्षिक योग्यता **बी0कॉम0** दर्शायी गयी है, जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता **बी0बी0ए0** है। उक्त को संशोधित किये जाने हेतु उनके द्वारा बी0बी0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।	आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर ने अपने पत्र संख्या 858 / स्था0 दिनांक 02 अगस्त, 2025 द्वारा श्री रजत कुमार, सहायक लेखाकार की बी0बी0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इनकी शैक्षिक अर्हता **बी0कॉम0** के स्थान पर **बी0बी0ए0** अंकित कर दिया गया है।